संचिका सं0 –3/एम0– 31/2016...13360

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
बिहार, पटना।

प्रेषक,

अनिल कुमार
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक–29.9.....2016

विषयः– विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही सुपुर्द किये जाने के पूर्व विहित प्रक्रिया का अनुपालन किये जाने के संदर्भ में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के आदेश ज्ञापांक– 8341 दिनांक– 13.08.2007 एवं परिपत्र संख्या– 6956 दिनांक– 21.10.2008 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त को विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के रूप में मामले सुपुर्द किये जाने के संदर्भ में विस्तृत अनुदेश निर्गत किये गये हैं।

उक्त निर्गत निदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि गंभीर कदाचार, बेईमानी, गबन आदि गम्भीर मामलों की जाँच के लिए ही विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाए। अन्य आरोपों के संबंध में विभाग/कार्यालय के अधीन पदस्थापित पदाधिकारियों से जाँच करायी जा सकती है या अनुशासनिक प्राधिकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानानुसार स्वयं भी जाँच कर सकते हैं।

उक्त परिपत्रों में विभागीय जाँच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी के रूप में मामले सुपुर्द किये जाने हेतु विहित प्रक्रिया का तो उल्लेख किया ही गया है साथ ही विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने के निमित निर्गत किये जाने वाले संकल्प के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

परन्तु ऐसा पाया जा रहा है कि कतिपय मामलों में विभागों द्वारा उक्त प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विभागीय जाँच आयुक्त के पत्रांक– 481अनु0 दिनांक– 24.08.2016 द्वारा भी उक्त स्थिति की ओर ध्यानाकृष्ट किया गया है।

अतः वर्णित स्थिति में अनुरोध है कि विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को विभागीय कार्यवाही सुपुर्द करने के क्रम में तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग) के आदेश ज्ञापांक– 8341 दिनांक– 13.08.2007 एवं परिपत्र संख्या– 6956 दिनांक– 21.10.2008 द्वारा निर्गत अनुदेशों का दृढ़ता से अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

(अनिल कुमार)
सरकार के विशेष सचिव,

sec-3/section officer-3/ 3-M-31-2016